Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–प.20(3) परि/लेखा/जलेस/विविध/2019–20/ दिनांक :

कार्यालय आदेश संख्या :21/2021

विषय :– सीएजी प्रतिवेदनों में सम्मिलित आक्षेपों के निस्तारण एवं पीएसी प्रतिवेदनों में सम्मिलित सिफारिशों की क्रियान्विति के संबंध में।

सीएजी प्रतिवेदनों में सम्मिलित आक्षेपों के निस्तारण एवं पीएसी प्रतिवेदनों में सम्मिलित सिफारिशों की क्रियान्विति के संबंध में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये है। लेकिन उक्त पत्रावलियों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. कर खातों में समय पर इन्द्राज नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनावश्यक आक्षेपों का सृजन होता है। अतः कर खातों का समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. वाहनों के विरूद्ध आक्षेपित राशि अदेय होने पर अंकेक्षण ज्ञापन का प्रत्युत्तर अंकेक्षण के दौरान ही दिया जाकर आक्षेप गठन को रोका जावें एवं आक्षेप गठित होने की स्थिति में महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना में पूर्ण तथ्य प्रस्तुत कर आक्षेपों को निरस्त कराया जावें। सीएजी प्रतिवेदनों की अनुपालना में अदेय दर्शाई गई राशि को जन लेखा समिति स्वीकार नहीं करती है। ऐसी स्थिति में राशि अदेय होने के कारणों को यथा समय अभिलेखों में दर्ज नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की स्थिति में ही पालना मान्य होगी।

3. अधीनस्थ कार्यालयों से नवीनतम पालना चाहे जाने पर उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित पालनाओं की छाया प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जाती है। इनके अवलोकन पर यह ज्ञात होता है कि कोई भी नवीन वसूली सूचित नहीं की गई है। अतः पूर्व में प्रेषित पालनाओं के अतिरिक्त हुई प्रगति की सूचना/ पालना ही भिजवाई जाए।

4. कतिपय अनुपालनाऐं/ सूचनाऐं मुख्यालय की शाखाओं से अपेक्षित होती है, पालना चाहे जाने पर शाखा प्रभारी अधिकारियों द्वारा कई माह पश्चात सूचित किया जाता है कि अमुक पैरा उनकी शाखा से संबंधित नहीं है। आक्षेप संबंधित न होने की स्थिति में इसकी सूचना संबंधित प्रभारी द्वारा तत्काल प्रदान की जाए।

5. प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राज. के अ.शा.टीप क्र. 12(1) वित्त/अंकेक्षण/2017 दि. 04.10.2021 के अनुसार उपरोक्त पालनाएं/सूचनाएं नहीं भेजे जाने अथवा विलम्ब से भेजे जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 व 17 के तहत कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है (छाया प्रति संलग्न)। तथ्यात्मक विवरण, ड्राफ्ट पैरा, सीएजी प्रतिवेदन की

Scanned by CamScanner

अनुपालना एंव पीएसी की सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक सूचना प्राप्त करने हेतु बार–बार पत्र, स्मरण पत्र जारी करने के बाद भी अनुपालना निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में स्मरण पत्र जारी होने का इंतजार किये बिना ही अनुपालना निर्धारित समयावधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना करने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1971 के नियम 4(v) के अंतर्गत यह कृत्य दुराचरण की श्रेणी में मानकर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रस्तावित की जावेगी।

(महेन्द्र सोनी)
विशिष्ट शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त
दिनांक :

क्रमांकः–प.10(8) परि/लेखा/जलेस/2014–15/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त
2. समस्त अति./ संयुक्त/ उप परिवहन आयुक्त
3. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....
4. उप वित्तीय सलाहकार/वरि. लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (अंकेक्षण)

वित्तीय सलाहकार

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषय : राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में की जाने वाली सिफारिशों के कियान्वयन से संबंधित सूचनाएं विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं भेजे जाने के संबंध में।

सचिव, राजस्थान विधान सभा ने पत्र कमांक एफ 9(73) जलेस /सिविल /विस/2015–21/20349 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि जन लेखा समिति की बैठक दिनांक 18.08.2021 में समिति ने अपने प्रतिवेदनों में की जाने वाली सिफारिशों के कियान्वयन से संबंधित सूचनाएं विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं भेजे जाने पर नाराजगी प्रकट की है। समिति के प्रतिवेदनों के सदन में उपस्थापित होने की तिथि से छः माह की अवधि में कियान्विति जनलेखा समिति को भिजवाना आवश्यक होता है। विभागों द्वारा आग्रह करने पर समिति द्वारा कियान्वयन हेतु अतिरिक्त समयावधि अनुमत की जाती है।

समिति ने निर्देश दिये है कि समय बढ़ाने के उपरांत भी यदि संबंधित विभाग सिफारिशों के कियान्वयन से संबंधित सूचनाएं नहीं भेजते है अथवा विलम्ब से भेजते है तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम 16 व 17 के तहत अविलम्ब कार्यवाही की जावें।

अतः अनुरोध है कि जनलेखा समिति के प्रतिवेदनों की कियान्विति सूचना निर्धारित छः माह की अवधि में अथवा समिति द्वारा बढ़ाई गई अवधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा सूचनाएं नहीं भेजे जाने अथवा विलम्ब से भेजे जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम 16 व 17 के तहत कार्यवाही की जावें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर

अ.शा.टीप कमांक : प.12(01)वित्त/अंकेक्षण/2017
दिनांक : 4-10-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा (जनलेखा समिति) राजस्थान जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I)राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) वित्त विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner